महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – तेरानबेवां संस्करण (माह जून, 2024)

''पहल'' के इस संस्करण में ....

1. अपनी बात ....
2. ग्राम पंचायत पडुआ लिख रही सफलता की कहानी
3. माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक
4. जनपद पंचायत के कार्य
5. विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कवच ने गरीबों को दिया संबल
6. सतत विकास के लक्ष्य एवं आंकाक्षी ब्लॉक कार्यक्रम अभिसरण
7. मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज (मालवी गीत रचना)

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं मार्गदर्शक
श्री मलय श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री के.बी. मालवीय,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्री एस.के. सचान,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का तेरानबेवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2024 का तृतीय मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में दिनांक 8 मई 2024 को माननीय मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री प्रहलाद पटेल जी की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र. अधारताल, जबलपुर के ''संकल्प कक्ष'' में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिसे **''माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक''** समाचार आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

इसे साथ–साथ संस्करण में **''ग्राम पंचायत पडुआ लिख रही सफलता की कहानी''**, **''जनपद पंचायत के कार्य''**, **''विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कवच ने गरीबों को दिया संबल''**, **''सतत विकास के लक्ष्य एवं आंकाक्षी ब्लॉक कार्यक्रम अभिसरण''** एवं **''मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज (मालवी गीत रचना)''** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

के.बी. मालवीय
संचालक

ग्राम पंचायत पड़ुआ लिख रही सफलता की कहानी

ग्राम पंचायत पडुआ जनपद पंचायत जबलपुर की सरपंच श्रीमती वर्षा शिव पटेल ने सरपंच का पदभार सभालते ही ग्राम पंचायत को बाल हितैषी पंचायत ओर महिला सशक्तिकरण हेतू प्रयास प्रारम्भ कर दिया, साथ ही साथ स्वच्छता, नशामुक्ति, महिला सशक्तिकरण, पुरातत्व धरोहरों का संरक्षण, खेलो का विकास, जल संरक्षण, स्वस्थ्य, परियावरण सरक्षण, बाल हितैषी पंचायत ओर ग्राम सुरक्षा, गांव में ही विवादों का समाधान व शांति बनाये रखने हेतु जैसे रचनात्मक कार्य किये जा रहे है, जिसके लिए उन्हें राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है।

वही ग्राम पंचायत के सचिव श्री अरुण पटेल ने अपनी पूरी लगनशीलता से बाल हितैषी पंचायत और महिला सशक्तिकरण पर अपनी ग्राम सभा द्वारा बनाई गई योजना अनुसार कार्य करना अपनी पंचायत कर रही हैं, जिससे आज इस पंचायत को सुजल,स्वच्छ, स्वस्थ्य, सुरक्षित स्वलम्बी ग्राम पंचायत और सक्षम महिला,

आत्मनिर्भर महिला, निर्भय महिला पंचायत है जहां पर सभी बच्चों को खेलने का स्थान, सभी बच्चे स्कूल जाते है, छोटे बच्चे आंगनवाड़ी जाते है, सभी बच्चों को पोषण आहार मिलता हैं बच्चों का टीकाकरण निरन्तर होता हैं, बच्चे सभी स्कूली व रचनात्मक कार्यक्रमो में भाग लेते है,

ग्राम पंचायत में सरपंच श्रीमती वर्षा शिव पटेल के द्वारा प्रत्येक सप्ताह रविवार के दिन प्रत्येक पोषक ग्रामो में अलग अलग समय पर बाल केंद्र लगाया जाता हैं जहाँ पर बच्चों महापुरषो की जीवनियों भारतीय संस्कृति, ओर अच्छे संस्कारो के साथ खेल , मिट्टी के खिलौने, चित्रकला, की शिक्षा भी दी जाती हैं बाल केंद्रों में ही बाल सभाओं का आयोजन प्रति सप्ताह किया जाता हैं। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को बच्चों के अभिभावकों उनके माता पिता से घरेलू परिस्तिथियों ओर उनके घरेलू वातावरण में सुधार और बच्चों के प्रति उनके व्यवहारों से पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कर उचित सुधार व उचित आवश्यक व्यवस्था तथा प्रत्येक सप्ताह परिवार में घर सभा करने जैसी निर्णय लिए जाकर कार्य किये जा रहे है। बाल केंद में बच्चों को बेड टच गुड़ टच के साथ लालच व अन्य यौन प्रताड़ना से बचने और उन्हे पहचानने जैसे मनोवोज्ञानिक रूप से समझाया जाता हैं,

ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा लिए गये निर्णयों अनुसार कार्य किये जा रहे पंचायत की ओर से बच्चों की आवश्यकताओं और मुद्दों पर जागरूकता सृजन

ग्राम पंचायत के बच्चों की आवश्यकताओं और उनसे जुड़े मुद्दों को समझने के लिए ग्राम पंचायत के सदस्यों, विभागों के अधिकारीयों, ग्राम समुदाय, एसएचजी, अभिभावकों और बच्चों के लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम इन सभी समूहों को बच्चों की आवश्यकताओं और मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करने में सहायता लेते है । ग्राम पंचायत के उन सदस्यों को भी अपने अनुभव सांझे करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिन्होंने अपने ग्राम पंचायत, में बाल विकास के लिए श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को सफलताओं क्रियान्वित किया है जिसके तहत पूर्व सरपंच श्री शिव प्रसाद पटेल, श्री परसराम पटेल और थाना भेडाघाट के थाना प्रभारी ओर प्रभाशाली लोगो सहित अनेको जिले के पूर्व सरपंचों का सहयोग लिया जाता हैं ।

सुरेन्द्र प्रजापति
संकाय सदस्य

माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक

दिनांक 8 मई 2024 को माननीय मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री प्रहलाद पटेल जी का महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र. अधारताल, जबलपुर में आगमन हुआ।

सर्वप्रथम संस्थान के संचालक, श्री के.बी. मालवीय द्वारा मंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से किया गया। माननीय मंत्री महोदय ने गांधी जी प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित की एवं संस्थान की अधोसंरचना, प्रशिक्षण कक्ष, छात्रावास एवं मेस आदि का निरीक्षण किया। माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में संस्थान के ''संकल्प कक्ष'' में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संस्थान के संचालक, उपसंचालक, संकाय सदस्य, प्रोग्रामर सहित संस्थान के अन्य अधिकारीगण एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारी भी उपस्थित रहे ।

बैठक में संस्थान एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सिवनी, नौगांव छतरपुर स्थापना संबंधी जानकारी पर विस्तृत चर्चा की गयी। साथ ही माननीय मंत्री महोदय द्वारा संस्थान के ग्रंथालय, संस्थान एवं 6

प्रशिक्षण केन्द्रों का लेखा, करमेता पार्ट–2 संबंधी जानकारी की समीक्षा की गई।एवं माननीय मंत्री महोदय द्वारा उपरोक्त विषयों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये।

आगामी वर्ष 2024–25 प्रशिक्षण केलेंडर तैयार कर तदानुसार प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान हैदराबाद द्वारा 906 में एक्टिव एमआरपी को सत्यापित कर नए सर्टीफाईड एमआरपी बनाये जाने हेतु निर्देश दिये गये एवं संस्थान में श्रम विभाग के साथ समन्वय कर लेबर अवेयरनेस प्रशिक्षण की योजना बनाने के लिए भी माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये एवं अंत में सभी को टीम के रूप में कार्य करते हुए संस्थान को विकसित व आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुये बैठक समाप्त की गयी।

जय कुमार श्रीवास्तव
प्रोग्रामर

जनपद पंचायत के कार्य

मध्यप्रदेश में पंचायतों का संचालन ''मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जनपद पंचायतों द्वारा सामंजस के साथ कार्य किया जाता है।

वास्तव में देखा जावे तो विकास से संबंधित सभी कार्य तो ग्राम पंचायतों में ही होते हैं। जनपद पंचायत क्षेत्र में सभी ग्राम पंचायतों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ मिले इस उद्‌देश्य को पूरा करने के लिये जनपद पंचायतों द्वारा नियोजित तरीके से कार्य करने की आवश्यकता होती है। मध्यप्रदेश में जनपद पंचायत द्वारा किये जाने वाले कार्यो को इस लेख में शामिल किया गया है।

जनपद पंचायत के कार्य

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अध्याय 5 में पंचायतों के कामकाज का संचालन एवं पंचायत के सम्मिलन की प्रकिया से संबंधित प्रावधान दिये गये हैं। जनपद पंचायत के कार्यो का उल्लेख धारा 50 में है। जिसके अनुसार जनपद पंचायतें कार्य करती हैं। जनपद पंचायत द्वारा जनपद पंचायत निधि में गुंजाइश को देखते हुये निम्नानुसार की व्यवस्था करना चाहिए :–

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन और मत्स्यपालन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा, संचार और लोक संकर्म, सहकारिता, कुटीर उद्योग, महिला, युवा तथा बाल कल्याण, निःशक्तों तथा निराश्रितों का कल्याण और पिछड़े वर्गो का कल्याण, परिवार नियोजन तथा खेलकूद और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

(2) आग, बाढ़, सूखा, भूकंप, दुर्भिक्ष, टिड्डीदल, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में आपातिक सहायता की व्यवस्था करना

(3) स्थानीय तीर्थ यात्राओं तथा त्योहारों के संबंध में व्यवस्था करना

(4) सार्वजनिक नौघाटो का प्रबंध करना

(5) राज्य सरकार या जिला पंचायत के अनुमोदन से कोई अन्य कृत्य करना

(6) इस अधिनियम द्वारा सौंपी गई तथा राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा उसे सौंपी गई आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों के संबंध में वार्षिक योजना करना और उसे जिला पंचायत की योजना में सम्मिलत किए जाने के लिए विहित समय के भीतर जिला पंचायत को प्रस्तुत करना।

(7) समस्त ग्राम पंचायतों तथा जनपद पचांयत के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की स्कीमों के संबंध में वार्षिक योजनाओं पर विचार करना और उसे समेकित करना और समेकित योजना को जिला पंचायत को प्रस्तुत करना।

(8) जनपद निधि में से हाथ में लिए जाने वाले संकर्मो और विकास स्कीमों की योजना तैयार करना।

(9) जनपद पंचायतों के भीतर की क्षेत्रीय योजना तथा अवसरंचनात्मक ''इन्फ्रास्ट्रचर'' विकास को हाथ में लेना।

(10) पंचायत निधि में से विकास स्कीमों के संकर्मो को मंजूर करना, उनका र्प्यवेक्षण करना, मानीटर करना और प्रबंध करना तथा इस प्रयोजन के लिए पंचायत निधि में से खर्च उपगत करना।

(11) किसी विधि द्वारा उसे सौंपी गई या जो उसे केन्द्र या राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा सौंपी गई हों ऐसी स्कीमों, संकर्मो, परियोजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चत करना।

(12) ग्राम पंचायतों के माध्यम से या निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से ऐसे संकर्मो स्कीमों कार्यक्रमों और परियोजनाओं को, जो राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को अंतरित की गई हैं, लागू करना, पर्यवेक्षण करना, मानीटर करना तथा प्रबंध करना।

(13) जिला पंचायतों को ऐसे संकर्मो या विकास, स्कीमों के संबंध में विचार करने के लिए, जिन्हें जिला पंचायत द्वारा खण्ड में प्रारंभ किया जा सकता है, सिफारिश करना और वह सीमा उपदर्शित करना जहॉं तक कि ऐसे संकर्मो या स्कीमों के लिए स्थानीय संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं।

(14) खण्ड के भीतर की ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करना और उनका मार्गदर्शन करना।

(15) ऐसी योजनाओं, परियोजनाओं, स्कीमों या अन्य संकर्मो का जो खण्ड में की दो या अधिक ग्राम पंचायतों के साझे के हों, सुनिश्चित करना।

(16) अंतरित की गई स्कीमों, संकर्मो तथा परियोजनाओं के संबंध में, केन्द्र या राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गई निधियों को मानदण्डों के अनुसार ग्राम पंचायतों को पुनः आवंटित करना।

(17) किसी विधि द्वारा या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उसको सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसाधन जुटाने के लिए समस्त आवश्यक उपाय करना।

(18) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो कि राज्य सरकार द्वारा उसे सौपें गए।

जनपद पंचायत अपनी अधिकारिता के भीतर के यथास्थिति सामुदायिक विकास खंड या आदिम जाति विकास खंउ के प्रशासन का नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करेगी और ऐसे खंडों को राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये कृत्य तथा सौंपी गई स्कीमों का कियान्वयन जनपद पंचायत के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्राण के अधीन ऐसे अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर दिए जाएं।

जनपद पंचायत द्वारा इन सभी कार्यों को इस अधिनियम में दिये गये प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लागू की गई नीतियों, दिये गये निर्देशों, अनुदेशों, साधारण या विशेष आदेशों के अनुसार किये जावेंगे।

राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले कार्य

अधिनियम की धारा 51 में राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यो से संबंधित प्रावधान दिये गये हैं। राज्य सरकार ऐसे किसी विषय के संबंध में, जिस पर राज्य सरकार का कार्यपालिक प्राधिकार है या ऐसे कृत्यों के संबंध में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को सौपें गये हैं, कोई कृज्य जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंप सकेगी और जनपद पंचायत या जिला पंचायत ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए बाध्य होगी, ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए उसे आवश्यक

शक्तियां होंगी। इस संबंध में निम्न प्रावधान दिये गये हैं :—

(1) जहां जनपद पंचायत या जिला पंचायत को उपधारा 1 के अधीन कृत्य सौपे जाते हैं, वहां जनपद पंचायत या जिला पंचायत उन कृत्यों का निर्वहन करने में राज्य सरकार के अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा जनपद पंचायत या जिला पंचायत को ऐसी राशि संदत्त की जाएगी जो इस धारा के अधीन जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौपे गये कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक समझी जाए।

(3) जनपद पंचायत या जिला पंचायत इस धारा के अधीन उसे सौपें गये उन कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार के या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी के साधारण नियंत्रण के अधीन रहेगी और ऐसे निर्देशों का पालन करेगी जो समय पर उसे दिये जाएं।

(संदर्भ स्त्रोत : मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (यथा संशोधित) पंचायतों के कृत्य, धारा – 50, 51)

डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य

विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कवच ने गरीबों को दिया संबल

किसी भी बीमारी का एक ही इलाज है कि उसका इलाज करवाया जाये। लेकिन गरीबी की स्थिति मे इलाज करवाना बड़ी चुनौती हैं। गरीब व्यक्ति के लिये उपचार का खर्च वहन करना बहुत मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के हर गरीब की पीड़ा को महसूस किया और आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की। योजना कर मुख्य उददेश्य है आर्थिक रूप से कमजोर नागरिको का मुफ्त इलाज करवाना। इस योजना से देश के हर निर्धन का इलाज संभव हुआ है।

आयुष्मान भारत योजना विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवच है। इस योजना ने हर वर्ग श्रेणी के लोगो के स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित किया है। गरीबो के लिए यह बड़ा संबल है। इससे पहले जब गरीब बीमार होता था तो उसे दोहरी मार पड़ती थी एक तो बीमारी की पीड़ा दूसरा किसी से उधार लेकर जैसे तैसे इलाज करवा भी लिया तो वह कर्ज के बोझ से परेशान रहता था। यह बोझ शारीरिक मानसिक और आर्थिक तीनो दबाव का कारण बनता था। इन परिस्थितियो मे विकास की परिकल्पना मुश्किल थी। आयुष्मान भारत योजना ने गरीब को इस दबाव से मुक्त किया है।अब वह स्वस्थ जीवन के साथ विकास की संभावनाओ से अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है।

आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत वर्ष 2018 मे की गयी। आयुष्मान भारत की लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन अंतर्गत पूरे देश मे स्वास्थ्य अधोसंरचना निर्माण और विकास के लिए कार्य किये जा रहे है। यह मिशन देश मे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिये सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओ मे से एक है। इस योजना के दूसरे घटक द्वारा गरीब परिवारो को 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ा जा रहा है।

क्या लाभ मिलता है योजना में

इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्डधारक हितग्राही को 5 लाख रूपये तक के मुक्त उपचार की सुविधा है। इसमे दवाईयां और उपचार मे शामिल सभी व्यय का वहन सरकार द्वारा किया जाता है। योजना के हितग्राही शासकीय के अतिरिक्त सूचीबद्ध किसी भी निजी अस्पताल मे निःशुल्क उपचार करवा सकते है।

किसे प्राप्त हो सकता है योजना का लाभ

इस योजना मे सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में वंचित श्रेणी के परिवार खाद्य सुरक्षा मे प्रदाय पात्रता पर्चीधारी एंव असंगठित श्रेणी के मजदूर लाभ प्राप्त कर सकते है।

मध्यप्रदेश मे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की स्थिति

मध्यप्रदेश मे सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा के पर्चीधारकों मुख्यमंत्री संबल योजना के हितग्राहियों मुख्यमंत्री भवन एंव संनिर्माण कर्मकार मण्डल में सम्मिलित परिवारो एंव भोपाल गैस पीड़ित परिवारों को योजना की पात्रता प्रदान की गयी है।

इसके अतिरिक्त सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायिका मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता पचांयत सचिव ग्राम रोजगार सहायक आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता आशा सुपरवाईजर कोटवार एंव संविदा कर्मियो को भी

प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रूपये स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है। प्रदेश मे स्वास्थ्य संस्थाओ की अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण मानव संसाधन आपूर्ति अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति निःशुल्क वितरण हेतु उपलब्ध दवाओ की संख्या मे वृद्धि जांच सेवाओं मे वृद्धि चिकित्सकीय परिवहन तंत्र विकास कीमोथैरेपी और डायलिसिस जैसी सुविधाओं के विकास कार्य किये जा रहे है।

प्रदेश मे इस योजना के पात्र परिवारो की संख्या 1.08 करोड़ है। कुल हितग्राही 4 करोड़ 70 लाख हैं जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 64 प्रतिशत हैं। राज्य मे अभी तक 3.76 करोड से अधिक हितग्राहियों का ई केवाईसी सत्यापन पूर्ण हो चुका है तथा 1 करोड़ से अधिक पीवीसी कार्ड तैयार किये जा चुके हैं। 99 प्रतिशत से ज्यादा पात्र परिवारो मे कम से कम एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका हैं।

आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर

आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर अंतर्गत प्रदेश में 11 हजार 812 आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर कियाशील हैं। इन केन्द्रो मे वर्ष 2023 24 में 2 करोड़ 1 लाख 84 हजार 737 व्यक्तियों को वेलनेस सेवाएं प्रदान की गई। भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर केन्द्र की 104 प्रतिशत क्रियाशील करने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। लाभार्थियों के लिये आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आईडी बनाने के लिये दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्ष 2023–24 मे आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर

केन्द्रो के माध्यम से अधिकतम संख्या मे टी बी रोगियो की स्क्रीनिंग के लिए पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

किडनी की गंभीर बीमारी से जूझते गरीबो के लिये डायलिसिस के सेशन करवाना बहुत मुश्किल होता है बीमारी की एक स्टेज के बाद नियमित समयावधि में निरंतर डायलिसिस करवाना आवश्यक है जो काफी

मंहगा होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझते गरीबो के लिये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम शुरू किया। इसमे गरीबो को निशुल्क डायलिसिस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यदि हम मध्यप्रदेश की स्थिति देखें तो प्रदेश के 52 जिलों मे 62 हेमोडायलिसिस ईकाईयां संचालित की जा रही हैं। प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कुल 329 डायलिसिस मशीनें चालू है।

विगत एक वर्ष में लगभग 2 हजार 537 मरीजो का पंजीकरण किया गया और लगभग 88 हजार 394 डायलिसिस के सत्र आयोजित किये गए हैं। प्रतिदिन 40 सत्र आयोजित किये जा रहे हैं।

दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद निरामयम

आयुष्मान भारत मिशन योजना को प्रदेश मे लागू करने के लिये मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 कें अंर्तगत दीलदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद कर पंजीयन 07 जुलाई 2018 का किया गया है जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/34127/18 हैं। यह परिषद स्टेट हेल्थ एजेंसी के रूप में कार्य का रही है। जिसके अंतर्गत इस योजना का संपूर्ण कियान्वयन किया जा रहा हैं। दीलदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद निरामयम के वर्तमान संचालन हेतु आई.ई.सी ब्यूरो जय प्रकाश चिकित्सालय परिसर भोपाल मे कार्य प्रांरभ कर दिया गया है।

दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद में 3 काउंसिल का गठन किया गया है जिसमे सलाहकार परिषद गवर्निंग परिषद तथा कार्यकारी परिषद शामिल हैं।

जिला कियान्वयन इकाई

आयुष्मान भारत के सफल कियान्वयन हेतु भारत शासन के निर्देशानुसार जिला कियान्वयन इकाई का गठन किया गया है जिसमें जिला कलेक्टर अध्यक्ष जिला मलेरिया अधिकारी जिला नोडल अधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला ई गवर्नेस मैनेजर जिला संसूचना प्रणाली प्रबंधक जिला मिडिया अधिकारी जन शिकायत निवारण प्रबंधक जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर जिला कार्यक्रम सह समन्वयक शामिल हैं।

इम्पेनलमेंट प्रक्रिया

इम्पेनलमेंट के लिए संचालक अस्तपाल प्रशासन की अध्यक्षता में पैनल प्रशासन की अध्यक्षता में पैनल स्वीकृति बोर्ड का गठन किया गया हैं समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, निजी चिकित्सालयों, निजी चिकित्सा महाविद्यलयों आदि के इस योजना में इम्पेनलमेंट, पंजीयन संबंधी कार्यवाही भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप ऑनलाइन संपादित की जाती है और पैनल प्रक्रिया का निर्धारण होता है।

निजी अस्पतालों के लिए मापदण्डों में राष्ट्रीय अस्पताल मानकीकरण बोर्ड, सम्बद्धता, न्यूनतम 10 बिस्तर, नर्सिंग होम, नियम 1972 का अनुपालन, सुपर स्पेशलिटी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा जारी सभी प्रासंगिक मानदंड शामिल हैं।

इलाज हेतु नियत पैकेज

किसी व्यक्ति के इलाज पर अस्पताल मनमाने तरीके से वसूली न कर सके और लागत पर नियंत्रण रखा जा सके इसके लिए इलाज संबंधी पैकेज रेट तय किए गए हैं। ये पैकेज रेट शासन द्वारा तय किये गये हैं। आयुष्मान भारत योजना की प्रस्तावित दरों में इलाज संबंधी तभी तरह के (दवाई, जांच, ट्रांसापोर्ट, इलाज

पूर्व, इलाज पश्चात के खर्चे) व्यय शामिल हैं। जिसमें 23 स्पेशियलिटीज के कुल 1350 पैकेज शासकीय चिकित्सालय हेतु 472 आरक्षित पैकेज, साथ ही अतिरिक्त पैकेज की सुविधा और 10 दिन का फॉलोअप भी शामिल है।

क्लेम का भुगतान

शासकीय एवं निजी चिकित्सालय उपचार समाप्त होने के 10 दिवस के अंदर आवश्यक अभिलेखों एवं जांच रिपोर्टो सहित इम्लीमेंट अभिलेखों एवं जांच रिपोर्टो सहित इम्लीमेंट सपोर्ट एजेंसी को प्रस्तुत करेंगे एवं इम्लीमेंट सर्पोट एजेंसी द्वारा ऑनलाइन प्राप्त सभी क्लेम का 15 दिवस के अंदर परीक्षण किया जाकर अपनी अंतिम अनुशंसा सहित स्टेट हेल्थ सोसायटी अर्थात 'दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परशिद–निरामयम' को प्रस्तुत किया जाता है। परिषद द्वारा 05 दिवस के अंदर संबंधित चिकित्सालयों को ऑनलाइन माध्यम से उनके बैंक खातों में क्लेम का भुगतान किया जाता इस प्रकार क्लेम संबंध संपूर्ण प्रक्रिया 30 (तीस) दिवस में पूर्ण होती है।

हेल्प डेस्क

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन से संबंधित समस्त चिकित्सालयों में हेल्प डेस्क बनाया गया है जिससे कि योजना में शामिल लाभार्थी परिवारों को एक ही स्थान पर समस्त जानकारी प्राप्त हो सके एवं उन्हें उपचार प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो।

आयुष्मान कार्ड

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राही के पास आष्युमान कार्ड होना जरूरी है। इसके लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। इसी के परिणामस्वरूप हितग्राही आष्युमान कार्ड प्राप्त कर अपना निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। आष्युमान भारत प्रधामंत्री जन आरोग्य योजना ने आष्युमान कार्ड बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है।

आयुष्मान कार्ड एप

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए आयुष्मान ऐप लॉन्च किया गया है। एप में स्व–सत्यापन की सुविधा है। एंड्राइड मोबाइल फोन का उपयोग करके सरल 4 चरणों में आष्युमान कार्ड बनाया जा सकता है। हितग्राही को आष्युमान कार्ड बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति मदद कर सकता है। आष्युमान एप के माध्यम से जनभागीदारी को सक्षम बनाया गया है। प्रधानमंत्री आष्युमान जन अरोग्य योजना में अब तक 53 करोड़ लोगों के डिजिटल हेल्थ आई.डी. कार्ड जारी किये गये हैं। यह योजना देश के गरीब तथा पात्र हितग्राही के स्वस्थ जीवन की गारंटी को सुनिश्च करती है। सरकार का प्रयास है कि हर व्यक्ति का समय पर इजाल हो, वह स्वस्थ रहे। देश का हर नागरिक जब स्वस्थ रहेगा तभी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वस्थ आत्मनिर्भर भारत निर्माण का संकल्प पूर्ण होगा।

डॉ. त्रिलोचन सिंह
संकाय सदस्य

सतत विकास के लक्ष्य एवं आंकाक्षी ब्लॉक कार्यक्रम अभिसरण

भारतीयों के लिये सतत विकास सदैव हमारे दर्शन और विचारधारा का मूल सिध्दांत रहा है। किंतु हम ही नही समूचा संसार इन्हे भूलते जा रहा था । जिन्हे पुनः स्मृरण कराने के लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा 2015 की बैठक में 'ट्रांस्फॉर्मिंग आवर वर्ल्ड : द 2030 एजेडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' का आयोजन किया गया। जिनके मानक सबके लिये समान, न्याय संगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृध्द और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के तीन पहलुओं, अर्थात सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रुप से समाविष्ट करना।

हम भारतीयों का इतिहास पर्यावरण प्रेम से ओत–प्रेत है हम भारतीय भूमि को मॉ मानते है सतत विकास के लक्ष्यों के हर मोर्चो पर कार्य करते हुये हमेशा हमें महात्मा गांधी की याद आती है । जिन्होंने हमें चेतावनी दी और कहा कि – धरती प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लालच को पूरा करना संभव नही है।

सतत विकास लक्ष्यों को विकास नीतियों में शामिल करने के लिये हमें अनेक प्रयास करने होंगे ताकि पर्यावरण और हमारी प्रथ्वी के अनुकूल और बेहतर जीवन जीने की की वैध इच्छाओं को पूरा किया जा सके । इन सबको ध्यान में रखते हुये हमें गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता ,जल एंव स्वच्छता, विषयों पर कार्य करने की आवश्यकता है ।

सतत विकास के सभी मानको की ओर ध्यान दिया जाये तो हम पाते है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को समझने व उन्हे पूरा करने के लिये प्रेरित करती है देखा जाऐ तो अन्य सभी विन्दु शिक्षा के इर्द–गिर्द घूमते है यदि किसी व्यक्ति को कुछ संचय करना है तो वह शिक्षा में निवेश कर सकता है ।

देखा जाये तो सतत विकास के लक्ष्य 9 थीम एवं 17 लक्ष्यों एवं आंकाक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के 9 सेक्टर के उदेश्य समान दिखाई पड़ता है। यदि इन दोनों के बीच तुलात्मक अध्ययन किया जाये तो हमें मानव जीवन के स्तर में सुधार व प्रकृति के वातावरण में सुधार हेतु जोर दिया गया है। सतत विकास के लक्ष्य एवं एबीपी कार्यक्रम के आपसी सामजंस्य से ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के जीवन में आमूल –चूल परिवर्तन लाया जा सकता है।

मनीष कुमार,
कम्प्यूटर आपरेटर

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज (मालवी गीत रचना)

आओ सफल बनाए, अपना पंचायतराज।
सब मिल सफल बनाए, अपना ग्राम स्वराज।।
होगा सफल तभी यो सपनो, जद आवेगा सुराज।
सच होंगे तब सपने सबके, तुम ले लो सौंगध आज।।

आओ सफल बनाए.................।

गांधी जी देख्यो यो सपनों, और दिलाई आजादी–2।
चंद्रशेखर वीर भगतसिंह ने, या खातिर जान गवाई।।
नेक भाव से कर्म करे हम, बनाये सभ्य समाज।
सच होंगे सपने सबके, तुम ले लो सौंगध आज।।

आओ सफल बनाए.................।

पंचायत और परमेश्वर की, हो एक कहानी।
पंचायत के पंच बोलेते, पांच देव की वाणी।।
पांच तत्व का बना पिंजरा, महिमा अपरम्पार।
बापू का सपना के सब मिल, करजो तम साकार।।

आओ सफल बनाए.................।

ना अपना ना कोई पराया, सब पंचायत के वासी।
घट–घट में राम–रमा है, क्या काबा क्या काशी।।
ईद–दीवाली मिल के मनावे, हो चेहरों पर मुस्कान।
देशवासी रहे प्रेम से, हो हिन्दू या मुसलमान।
सुख–दुख सब मिलके बांटो, हर लो सबकी पीर।।

आओ सफल बनाए.................।

सियासती वो दूरिया, तेरा मेरा वोट।
ये अपना और वो पराया, दिलों में भरदी खोट।।
जति पाती और धर्म में बंटते, राजनीति का खेल।
ईद दीवाली यहाँ सिसकते, बढता नही क्यूं मेल।।
सिर पे छप्पर हो सभी के, हर हाथ को काम।।

आओ सफल बनाए.................।

विश्व गुरु का नाम के करजो, फिर से तम साकार।
लौटेगी अपनी खोयी विरासत और होगा चमत्कार।।

आओ सफल बनाए.................।

विमल शंकर नागर
संकाय सदस्य